समक्षः— न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन (म0प्र0)

प्र0क0 2/14-15 पुनर्विलोकन

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार मल्हारगढ ——आवेदक/पुनर्विलोकनकर्ता

विरूद्ध

1:— प्रभूलाल पिता भेरूलाल जाति नायक

2:— भारतसिंह पिता बलवंतसिहं जाति राजपूत

दोनो निवासीगण ग्राम सौम्या तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर

3:—सरपंच ग्राम सौम्या तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर———————अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा—51 (1) म0प्र0 भू—रा0 संहिता 1959 बनाराजगी आदेश दिनांक 04.06.2006—07 पारित द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन से परिवेदित होकर प्रस्तुत।

मान्यवर महोदय,

आवेदक/पुनर्विलोकनकर्ता की और से निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत हैः—

प्रकरण का संक्षिप्त संस्मरण इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ के समक्ष तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत सौम्या द्वारा इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि पटवारी से बंदोबस्त अधिकारी ने मिलकर अनावेदक कमांक 1 प्रभूलाल ने अपने नाम ग्राम सौम्या की शासकीय बीड की भूमिं सर्वे कमांक 530 रकबा 0.80 हेक्टर करवाली जबकी उक्त भूमिं शासकीय होकर ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष निलाम की जाती रही है।

अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण में नायब तहसीलदार को जांच कर चौकीदार के विरूद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया। तहसीलदार द्वारा प्र0क0 15/बी—121/03—04 पंजीबद्ध कर सुनवाई के पश्चात् भूमिं सर्वे कमांक 530 रकबा 0.80 हेक्टर को शासकीय दर्ज करने का आदेश दिनांक 29.04.04 को दिया।

तहसीलदार महोदय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो कि प्र0क0 71 अपील/03—04 से दर्ज होकर आदेश दिनांक 17.11.04 को स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार महोदय को प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी महोदय के रिमाण्ड आदेश के पालन में तहसीलदार ने प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर प्र0क0 93/बी—121/04—05 से आदेश दिनांक 22.05.06 को उक्त सर्वे कमांक 530 रकबा 0.80 हेक्टर से अनावेदक कमांक 1 का नाम कम करने व शासकीय घोषित पूर्ववत चारागाह मद में दर्ज करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार महोदय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो प्र0क0 64 अपील/05—06 से दर्ज हुई होकर आदेश दिनांक 23.09.06 से निरस्त की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्र0क0 126 अपील/06—07 से दर्ज हुई होकर

तहसीलदार
तहसील मल्हारगढ़,
जिला-मन्दसौर (म.प्र.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक रिव्यू 2399– 11/2015 जिला मन्दसौर

म0प्र0 शासन विरूद्ध प्रभूलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–9–2015	आवेदक म0प्र0शासन की ओर से अपर आयुक्त द्वारा यह पुनर्विलोकन की अनुमति बावत आवेदन अपर आयुक्त उज्जैन की ओर से प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त अपने पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 126/2006–07/अपील में पारित आदेश दिनांक 4–6–2008 के पुनर्विलोकन की अनुमति चाहते हैं। आवेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। पूर्ण विचारोपरांत म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51(1) के अन्तर्गत रिव्यू अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि "किसी आदेश को तब तक फैरफारित नहीं किया जाए या उल्टा न जाए जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो"। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	